

थाना स्वार:-02 वारण्टी अभिगण गिरफ्तार-

दिनांक 12/09/2023 को थाना स्वार पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभिगण 1. राजपाल पुत्र भजनलाल निवासी ग्राम भूवरा थाना स्वार जनपद रामपुर 2. शफीक अहमद पुत्र अली अहमद निवासी ग्राम मुकरमपुर थाना स्वार जनपद रामपुर को उनके घर से गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

उ0नि0 हरेन्द्र कुमार

उ0नि0 राहुल यादव

का0 420 अशोक कुमार

हे0का0 822 बब्लू चौधरी

हे0का0 629 जयवीर।

*थाना सिविल लाइन:-वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 12.09.2023 को थाना सिविल लाइन, रामपुर पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त कादिर पुत्र उस्मान नि0 गली नं0 08 सालिमार् गार्डन पिल्लोखड़ी रोड थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त थाना सिविल लाइन पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 293/23 धारा 363,376(3) भादवि, 3/4 पाँक्सो एक्ट व 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट में वांछित चल रहा था।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

उ0नि0 श्री श्रीपाल सिंह

हे0का0 818 संजीव कुमार

हे0का0 572 प्रमोद कुमार।

थाना सिविल:-एक अद नाजायज तमंचे के साथ अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 12.09.2023 को थाना सिविल लाइन, रामपुर पुलिस द्वारा बन्टी पुत्र मुरारी लाल निवासी लेवर कॉलोनी ज्वालानगर थाना सिविल लाइन, रामपुर को एक अद नाजायज तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर मु0अ0सं0-309/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

उ0नि0 श्री श्रीपाल सिंह

हे0का0 377 सुमित कुमार

का0 21 देवराज सिंह।

थाना सिविल लाइन:-04 वारण्टी अभि0गण गिरफ्तार-

दिनांक 12.09.2023 को थाना सिविल लाइन, रामपुर द्वारा 04 वारण्टी अभियुक्तगण 1. अमर जीत सिंह पुत्र नहार सिंह नि0 जिला परिषद रोड निकट डा0 विशेष थाना सिविल लाइन, रामपुर 2. विजय पुत्र प्रेमचन्द निवासी गंगापुर निकट छोटा दुर्गा मन्दिर थाना सिविल लाइन, रामपुर 3. रामवीर पुत्र दौलत राम निवासी दारा सिंह निकट पनवडिया थाना सिविल लाइन, रामपुर 4. अफसर अली पुत्र अनवार अली निवासी अजीतपुर थाना सिविल लाइन, रामपुर को उनके घर से गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार
2. उ0नि0 श्री विनोद कुमार
3. उ0नि0 श्री सूरज सिंह चौहान
4. उ0नि0 श्री मनवीर सिंह
5. उ0नि0 श्री दिलीप कुमार
6. हे0का0 651 रविन्द्र सिंह
7. हे0का0 475 प्रमोद कुमार
8. का0 1779 अजेन्द्र कुमार
9. का0 1886 नितिन कुमार
10. का0 103 हर्षित कोहली
11. का0 1389 सुनील कुमार।

थाना केमरी:- वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 12.09.2023 को थाना केमरी पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त कलुआ पुत्र जानकी प्रसाद नि0 मौ0 शिव मन्दिर चमारान कस्बा व थाना केमरी जनपद रामपुर को उसके घर से गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

उ0नि0 श्री सतीश कुमार

हे0का0 680 सोनवीर सिंह

हे0का0 496 अमित कुमार।

थाना केमरी:- वारण्टी अभियुक्त एक अद् नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार-

दिनांक 12.09.2023 को थाना केमरी पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त सूरज पुत्र मुन्ना लाल निवासी मौ० सिंघाडियान कस्बा व थाना केमरी जनपद रामपुर को मनकरा रोड पर दादा मिया की मजार के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक अद् नाजायज चाकू बरामद हुआ। इस सम्बन्ध में थाना केमरी पर मु०अ०सं०-121/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

उ०नि० श्री सतीश कुमार

हे०का० 680 सोनवीर सिंह

हे०का० 496 अमित कुमार।

थाना केमरी:- एक अद् नाजायज चाकू के साथ अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 12.09.2023 को थाना केमरी पुलिस द्वारा आरिफ उर्फ भूरा पुत्र तोफीक उर्फ रफीक निवासी ग्राम मुडिया कला थाना केमरी, रामपुर को तीन पानी चौहारे से पिपलिया मिश्र के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक अद् नाजायज चाकू बरामद हुआ। इस सम्बन्ध में थाना केमरी पर मु०अ०सं०-120/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

उ०नि० श्री शिशुपाल सिंह

हे०का० 189 कुलवीर सिंह।

थाना मिलक:- वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 12-09-2023 को थाना मिलक, रामपुर पुलिस द्वारा विनोद पुत्र किशनलाल निवासी ग्राम क्रमचा का मझरा खेडा थाना मिलक जनपद रामपुर को रोरा कट तिराहा कस्बा मिलक से गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त थाना मिलक पर पंजीकृत मु०अ०सं०-238/23 धारा 366/376/506 भादवि में वांछित चल रहा था।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1-उ०नि० रविन्द्र कुमार,

2-का० 1330 अनिल कुमार।

थाना गंज:- वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 12.09.2023 को थाना गंज पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त आलिम पुत्र अल्लारकखा निवासी मौ० मैगजीन थाना सिविल लाइन, रामपुर को उसके घर से गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।